संख्या-46/2018/क0नि0-4-843/11-2018-300(25)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊः दिनाँक 17 सितम्बर, 2018**

विषयः-वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय हेतु लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूपीएस तथा प्रिंटर का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-लैपटॉप क्रय/(2018-19)/389/ वाणिज्य कर, दिनांक 02.07.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर मुख्यालय हेतु 35 लैपटॉप, 08 डेस्कटॉप, 08 यूपीएस तथा 12 प्रिंटर का क्रय जेम पोर्टल से किए जाने हेतु अनुमानित धनराशि रू0-34,09,000.00 (रूपया चौंतीस लाख नौ हज़ार मात्र) का व्यय किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूपीएस तथा प्रिंटर के क्रय की कार्यवाही कमिश्नर, वाणिज्य कर आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बंधित व्यय की मानक मद संख्या-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /सॉफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-46/2018/क0नि0-4-843(i)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहबाद।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5- एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।